

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

एस0ओ0

दिनांक.....

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948(11 का1948) की धारा-3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद संबंधी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नियोजनों में (संलग्न अनुसूचित नियोजनों में विनिर्दिष्ट) नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड(डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्रम सं०	अनुसूचित नियोजनों के नाम	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(आधार वर्ष २००१=१००)
१	२	३	४
१	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	जनवरी, २०१९	३०७
२	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन	फरवरी, २०१९	३०७
३	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	मार्च, २०१९	३०९
४	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	अप्रैल, २०१९	३१२
५	डिस्टीलरी के नियोजन	मई, २०१९	३१४
६	पाट्रीज़ के नियोजन	जून, २०१९	३१६
७	बेकरीज़ एवं कान्फकेशन के नियोजन	कुल	१८६५
८	को-आपरेटिव सेक्टर के नियोजन	छः माह का औसत	१८६५ ६= ३१०.८३=३१०
९	अल्युमिनियम उद्योग के नियोजन	अर्थात वृद्धि=	३१०
१०	खण्डसारी उद्योग के नियोजन	पुनरीक्षित निर्धारित बिन्दु	२५३
११	केमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन	प्रतिशत वृद्धि	३१०-२५३=५७
१२	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन	$\frac{५७ \times १००}{२५३} =$	२२.५२% की वृद्धि
१३	सीमेंट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन		
१४	एसबेस्ट्स सीमेंट कारखाना के नियोजन		
१५	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन		
१६	बन्दुक कारखाने के नियोजन		
१७	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन		

१८	पेपर उद्योग के नियोजन		
१९	लॉन्ड्री एवं वॉशिंग के नियोजन		
२०	होजियारी निर्माण के नियोजन		
२१	सिंदूर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन		
२२	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन		
२३	उड वर्क्स एवं फर्नीचर के नियोजन		
२४	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स के नियोजन		
२५	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स के नियोजन		
२६	फिशरीज के नियोजन		
२७	खादी ग्रामोध्योग के नियोजन		
२८	प्राइवेटफेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन		
२९	हार्ड कोक भट्टा के नियोजन		
३०	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लिनिक्स के नियोजन		
३१	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन		
३२	मुद्रणालय के नियोजन		
३३	अबरक कार्यों(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन		
३४	हैंडलूम उद्योग के नियोजन		
३५	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन		
३६	रिफैक्ट्रीज फायरब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन		
३७	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन		
३८	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन		
३९	किसी विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन		
४०	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओ के नियोजन		
४१	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन		
४२	डेयरी एवं पोल्ट्री फर्म्स के नियोजन		
४३	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन		
४४	सिनेमा उद्योग के नियोजन		
४५	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन के नियोजन		

४६	सिलाई उद्योग के नियोजन		
४७	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन		
४८	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन		
४९	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन		
५०	सीमेंट से ह्यूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन		
५१	कृषि नियोजन		
५२	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन		
५३	शीशा उद्योग के नियोजन(ग्लासशीट को छोड़कर) के नियोजक		
५४	दफती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगोटर्ड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन		
५५	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नियोजन		
५६	प्लाइवूड उद्योग के नियोजन		
५७	ढलाई(फऊण्डी उद्योग) के नियोजन		
५८	बिस्कुट उद्योग के नियोजन		
५९	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन		
६०	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन		
६१	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन		
६२	मिनरल ग्राईडिंग के नियोजन		
६३	बुहारने और सफाई का कार्य के नियोजन		
६४	स्पंज आइरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन		
६५	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप के नियोजन		
६६	मोटर बाडीबिल्डिंग के नियोजन		
६७	मेस, कैंटीन एवं क्लब के नियोजन		
६८	चार्टर्ड/कॉस्ट अकऊन्ट्स/औडिटर/टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आर्किटेक के नियोजन		
६९	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इन्स्टीच्यूट , निजी स्कूल आदि के नियोजन		
७०	जमीन के नीचे व्वाटर सप्लाई पाईप लाइन एवं केबुल बिछाने के नियोजन		
७१	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन		

७२	पंडाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन		
७३	ग्राईडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल ओर के नियोजन		
७४	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राईवर/ खलासी/ परिचालक आदि के नियोजन		
७५	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन		
७६	मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य		
७७	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्त) अधि० १९७६ से आच्छादित नियोजन		

परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-४ में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाए जिस पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई है, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील महँगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी। परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जनवरी-जून, २०१९ (वर्ष २०१९ का प्रथम अर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक- ०१-१०-२०१९ की तिथि से देय होगा।

(संख्या-२/ एम०डब्लू०-२०७१/२०१०,श्र० नि०.....1836..... राँची, दिनांक...16.10.19

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के अवर सचिव।

अधिसूचना

एस० ओ०.....

दिनांक.....

का अँग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद- ३४८ के खण्ड-३ के अधीन अँग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(संख्या-२/ एम०डब्लू०-२०७१/२०१०,श्र० नि०...1837..... राँची, दिनांक...16.10.19

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के अवर सचिव।

NOTIFICATION

S.O...../.....

dated

In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in employments mentioned in column-2 of the schedule below here appended (herein after referred to as the scheduled employment) for the months shown in column-3 of the said schedule shall be as shown in column-4 of the schedule for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

Sl. No.	Scheduled Employment	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2001=100)
1	2	3	4
1	Dam Construction and Irrigation	January,2019	307
2	Shops Selling Cooked food stuff	February,2019	307
		March,2019	309
3	Tanneries and Leather Manufactory	April,2019	312
4	Cold Storage	May,2019	314
		June,2019	316
5	Distilleries		
6	Potteries		
7	Bakeries and Confectionaries	Total-	1865
8	Co-Operative Sector		<u>1865</u>
9	Aluminum Industry	Average	6
10	Khand sari Industry	$\frac{57 \times 100}{253} =$	= 310-253
		253	Point 57 =22.52% increase

1	2	3	4
11	Chemical Pharmaceutical Industry		
12	Soap Making Industry		
13	Cement Pre-Stressed Product Industry		
14	Asbestos Cement factory		
15	Glass Sheet Industry		
16	Gun factory		
17	Religious and Social Industry		
18	Paper Industry		
19	Laundry and Washing		
20	Hosieries Manufacturing		
21	Manufacture of Sindur and Rang		
22	Manufacture of leather goods		
23	Wood work and Furniture		
24	Ice-cream and Cold drink		
25	Petrol and Diesel Pump		
26	Fisheries		
27	Khadi and Village Industry		
28	Private Ferrise and L.T.C.		
29	Hard Coke Oven		
30	Private Hospital, Nursing		
31	Construction or maintenance of Road or in building construction		

32	Printing Press		
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)		
34	Handloom Industry		
35	Manufacture of Gold Articles of stistic design		
36	Refractories, Fire bricks ceramic Industry		
37	Any shop or Establiment		
38	Public Motor Transport		
39	Any University, Education Research of lultural Institution		
40	Hotels, Eating House and Resturant		
41	Any, Woolen Carpet making of Showl weaving Establishment		
42	Dairies and Poultry Farms		
43	Auto Mobile Engineering		
44	Cinema Industry		
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills		
46	Tailoring Industry		
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)		
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry		
49	Plastic Industry		
50	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry		
51	Employment in Agriculture		
52	Book Binding Industry		

53	Employment of Glass Industries (Excluding Glass sheet)		
54	Dafti, Card Board, Mill Board, Corrageted Board, Gatta Board Manufactory		
55	Electronics Industry		
56	Plywood Industry		
57	Foundry Industry		
58	Biscuit Industry		
59	Coal Briquette Industry		
60	Private Security Agency		
61	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)		
62	Mineral Grinding Industry		
63	Employment of Sweeping and Cleaning		
64	Sponse Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots		
65	Employment in Motor garages and workshops		
66	Employment of Motor Body Building.		
67	Employment of Mess, Canteens and Clubs		
68	Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect.		
69	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)		
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.		
71	Employment in Electricity Generator and supply		
72	Employment in Decoration of Pandal etc.		
73	Grinding and crushing of Mineral ore.		



74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.		
75	Computer Coaching Institute etc.		
76	Employment of Mobile Tower etc.		
77	Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976		

The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the above schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages have been fixed/revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of January-June, 2019, which is 1st half of 2019, will be payable from 01.10.2019.

[No-2/MW-2071/2010 L&T- 1836 Ranchi, Dated 16.10.19]

By Order of the Governor of Jharkhand,


Under Secretary to Government




जापांक -२/एम०डब्लू०-२०७२/२०१०श्र०नि०.....1837.....राँची,दिनांक...16.10.19.....

प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की ५००प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


सरकार के अवर सचिव।


जापांक-२/एम०डब्लू०-२०७२/२०१०श्र०नि०.....1837.....राँची,दिनांक...16.10.19.....

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।


जापांक-२/एम०डब्लू०-२०७२/२०१०श्र०नि०.....1837.....राँची,दिनांक...16/10/19.....

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेजसेल),भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त(केन्द्रीय), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली / क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/ निदेशक,लेबर ब्यूरो,शिमला /चण्डीगढ़ /स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/ सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी उपविकास आयुक्त, झारखण्ड/ सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद(केन्द्रीय)श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के सभी सदस्यगण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम,रांची/ निदेशक,सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची/ सभी विभागीय पदाधिकारियों(तकनीकी सहित)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।
mk

अनुसूची-1

क्रमसं०	अनुसूचित नियोजनों का नाम	अधिसूचना सं० एवं तिथि	जुलाई- दिसम्बर, २०१४ तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं।	जनवरी- जून, २०१९ तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर महँगाई भत्ता देय है।	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि (५ - ४)	बढ़े हुए मूल्य सूचकांक पर परिवर्तनशील महँगाई की अतिरिक्त राशि	तिथि जब से परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि देनी होगी।
1	2	3	4	5	6	7	8
१	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	अधिसूचना सं० -१४६७, १४६७ दिनांक १४.०८.२०१५	२५३	३१०	३१० - २५३ =५७ अर्थात् $\frac{५७ \times १००}{२५३} = २२.५२\%$	क) रु० २१०.०० पर रु० ४७.२९ प्रतिदिन ख) रु० २२०.०० पर रु० ४९.५४ प्रतिदिन ग) रु० २९०.०० पर रु० ६५.३० प्रतिदिन घ) रु० ३३५.०० पर रु० ७५.४४ प्रतिदिन	दिनांक ०१.१०.२०१९ से
२	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन						
३	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	तदैव					
४	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	तदैव				मासिक क) रु० ५४६० पर रु० १२२९.५९ प्रतिमाह	
५	डिस्टीलरी के नियोजन	तदैव				ख) रु० ५७२० पर रु० १२८८.१४ प्रतिमाह	
६	पोट्रीज के नियोजन	तदैव				ग) रु० ७५४० पर रु० १६९८.०० प्रतिमाह	
७	बेकरीज़ एवं कान्फकेशन के नियोजन	तदैव				घ) रु० ८७१० पर रु० १९६१.४९ प्रतिमाह	
८	को-आपरेटिव सेक्टर के नियोजन	तदैव					

1	2	3	4	5	6	7	8
७१	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाय के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७२	पंडाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७३	ग्राइंडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल ओर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७४	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर/ खलासी/ परिचालक आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७५	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७६	मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य	अधिसूचना सं- १४६९, १४७०दिनांक १४.०८.१५	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७७	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्त) अधि० १९७६ से आच्छादित नियोजन		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

(संख्या-२/एम०डबल्यू०-२०७१/२०१०, श्र०नि०-1837-राँची, दिनांक-16.10.19

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के अवर सचिव।

मे

Schedule-I

Sl No	Name of the Schedule Employment	Notification No. and Date	Average of indices of July-December, 2014 of Minimum rates of wages revised	Average of indices of January-June, 2019 on which V.D.A. is payable	Total Variation on Index (5-4)	Amount of V.D.A. on the basis of increase in Price Index slab wise	Date which additional V.D.A. payable
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Dam Construction and Irrigation	Notification No-1467, 1468 Date 14-08-2015	253	310	310-253 =57 Or 57×100 253 =22.52%	(a) On Rs. 210.00 Rs. 47.29 per day (b) On Rs. 220.00 Rs. 49.54 per day (c) On Rs. 290.00 Rs. 65.30 per day (d) Rs. 335.00 and above Rs. 75.44 per day	From 01.10.2019
2	Shops Selling Cooked food stuff	-Do-				<u>Monthly</u> (a) On Rs. 5460.00 Rs. 1229.59 (b) per month (c) On Rs. 5720.00 Rs. 1288.14 per month (d) On Rs. 7540.00 Rs.1698.00 per month (e) Rs. 8710.00 and above Rs.1961.49 per month	
3	Tanneries and Leather Manufactory	-Do-					
4	Cold Storage	-Do-					
5	Distilleries	-Do-					
6	Potteries	-Do-					
7	Bakeries and Confectionaries	-Do-					

	1	2	3	4	5	6	7	8
8	Co-Operative Sector	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
9	Aluminum Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
10	Khandsari Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
11	Chemical Pharmaceutical Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
12	Soap Making Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
13	Cement Pre-Stressed Product Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
14	Asbestos Cement factory	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
15	Glass Sheet Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
16	Gun factory	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
17	Religious and Social Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	
18	Paper Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
19	Laundry and Washing	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
20	Hosieries Manufacturing	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
21	Manufacture of Sindur and Rang	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
22	Manufacture of leather goods	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
23	Wood work and Furniture	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
24	Ice-cream and Cold drink	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
25	Petrol and Diesel Pump	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
26	Fisheries	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
27	Khadi and Village Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
28	Private Ferries and L.T.C.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
29	Hard Coke Oven	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
		-Do-						

0	1	2	3	4	5	6	7	8
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
71	Employment in Electricity Generator and supply	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
72	Employment in Decoration of Pandal etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
73	Grinding and crushing of Mineral ore.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
75	Computer Coaching Institute etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
76	Employment of Mobile Tower etc.	Notification No-1469, 1470 Date 14.08.2015	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
77	Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

[No-2/MW-2071/2010, L & T-.....1836.....Ranchi, Dated ...16.10.19.....

By order of the Governor of Jharkhand,

SPC
15/10/19
Under Secretary to Government
mk